

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 18.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि० बाग कस्बा व थाना करनपुर जनपद करौली राजस्थान हालपता रेलवे फाटक के पास हलधरपुर क्रसिंग थाना भोगनीपुर कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ आमिर पुत्र अब्दुल हसन नित्र उमरपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.रामचन्द्र पुत्र महावीर नि० धरऊ थाना अकबरपुर कानपुर देहात आदि 03 नफर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मोहम्मद रिजवान पुत्र निसरूल हक नि० गढी थाना रुरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त छोटे पुत्र पुसूआ नि० मनकी खर्द थाना कुरारा जनपद हमीपुर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनिया पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त राहुल सिंह चंदेल पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि० केशव पुरम अम्बेडकर नगर थाना रनिया कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. बलबीर सिंह पुत्र स्व० कृष्णपाल सिंह नि० जगदीशपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात आदि 02 नफर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त मुन्ना लाल पुत्र शिवप्रसाद नि० ननखा मुहाना
- थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द०प्र०सं० में किया गया। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रुरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनिया पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया गया।